**मैसर्स संत लाल सुरिंदर कुमार बनाम मैसर्स बहल रोलर एंड फ्लोर मिल्स (पी.) लिमिटेड -515 एवं अन्य (राजीव नारायण रैना , न्यायमूर्ति )**

**राजीव नारायण रैना, न्यायमूर्ति के समक्ष**

**मैसर्स संत लाल सुरिंदर कुमार** - याचिकाकर्ता

बनाम

**मैसर्स बहल रोलर एंड फ्लोर मिल्स (पी.) लिमिटेड एवं अन्य** - उत्तरदाता

**2014 की सी आर संख्या 1626**

4 मार्च , 2014

**सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 0. 7 R 11 और O 9 R 7- वाद-याचिकाकर्ता की अस्वीकृति - फर्म प्रतिवादी कंपनी की ऋणदाता थी - 1996 में, याचिकाकर्ता ने धन वसूली के लिए मुकदमा दायर किया - 1997 में, कंपनी के निदेशकों ने अस्वीकृति की मांग की इस आधार पर वाद दायर किया गया कि वे व्यक्तिगत वसूली से प्रतिरक्षित थे क्योंकि कंपनी अधिनियम, 1956 उन्हें बचाता है और दावा कंपनी के खिलाफ होगा - ट्रायल कोर्ट ने निदेशक के लिए मुकदमा खारिज कर दिया, लेकिन अन्य प्रतिवादियों के लिए वही जारी रखा - याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन निदेशकों द्वारा दायर किया गया था देर से चरण में और तदनुसार आदेश 7 नियम 11 के तहत अधिकार, सीपीसी को माफ कर दिया गया था, कानून द्वारा निदेशकों को प्रदान किए गए वैधानिक अधिकारों और सुरक्षा का दावा किसी भी समय किया जा सकता है क्योंकि वे अधिकार क्षेत्र की जड़ में जाते हैं - दावों के जबरदस्ती निर्णय के लिए कोई जगह नहीं है कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से - क़ानून के विरुद्ध कोई रोक नहीं है - प्रतिवादियों के अनुसार वादपत्र खारिज कर दिया गया**

माना जाता है कि कानून द्वारा प्रदत्त वैधानिक अधिकारों और सुरक्षा का दावा किसी भी समय किया जा सकता है क्योंकि वे अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाते हैं। उक्त दो प्रतिवादियों की इच्छा के विरुद्ध ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित कोई भी आदेश या डिक्री कानून के विपरीत होगा और अपील में संदिग्ध होगा जब तक कि स्वीकार किए गए ऋण को स्वेच्छा

से या प्रतिवादियों की स्वतंत्र सहमति से छुट्टी नहीं दी जाती है। 4 और 5 ने निदेशक के रूप में अधिकारों का समर्पण किया और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से नहीं बल्कि कंपनी का नहीं बल्कि ईमानदारी से उच्च नैतिक आधार पर ऋण का भुगतान किया। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दावों के जबरदस्ती निर्णय के लिए यहां कोई जगह नहीं है। यह सर्वमान्य कानूनी सिद्धांत है कि क़ानून के ख़िलाफ़ कोई रोक नहीं है।

(पैरा 3 )

इसके अलावा, यह माना गया कि प्रतिवादी कंपनी सहित अन्य प्रतिवादियों को भी पक्षकार के रूप में रखा गया है, जहां से दावा किया जा सकता है जी हे संतुष्ट हैं क्योंकि वादी शेष प्रतिवादियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

(पैरा 4)

विकास कुमार, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

**राजीव नारायण रैना, न्यायमूर्ति. (मौखिक)**

(1) इस याचिका में वादी द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश दिनांक 30 जनवरी 2014 (पी-5) को चुनौती दी गई है, जिसमें आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी' के लिए के तहत प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी गई है, उनके लिए मुकदमा खारिज कर दिया और धन की वसूली के लिए मुकदमे में वादी फर्म और शेष प्रतिवादियों के बीच प्रतिस्पर्धा छोड़ दी।

(2) निर्विवाद रूप से प्रतिवादी संख्या 4 और 5 उस समय मेसर्स बहल रोलर एंड फ्लोर मिल्स (पी) लिमिटेड के निदेशक थे जब देनदारी हुई थी और याचिकाकर्ता मेसर्स संत लाल सुरिंदर कुमार "प्रतिवादी कंपनी 1 के लेनदार बन गए थे। । यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी/प्रतिवादी नंबर 4 और 5 ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक पक्षीय थे और सीपीसी के आदेश 9 नियम 7 के तहत उनके आवेदन पर एक पक्षीय कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। यह 1997 में हुआ था। मुकदमा 1996 में दायर किया गया था और लंबित है। जैसा भी हो, मुकदमे के अंतिम अंत में, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर करके वादी फर्म को आश्चर्यचकित कर दिया। यह वाद प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि मुकदमे में की गई राहत और दावा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर आवेदन करने वाले प्रतिवादियों के पक्ष में वर्जित था, जो निदेशकों को व्यक्तिगत हितों से बचाता है। विवादित लेनदेन में कंपनी के

निदेशक के रूप में कार्य करते समय दायित्व और जिनके खिलाफ, अन्य बातों के अलावा, धन की वसूली के लिए मुकदमे में धन का दावा लाया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 और 5 स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत वसूली से प्रतिरक्षित हैं क्योंकि कानून उनकी रक्षा करता है। दावा, यदि कोई हो, कंपनी के खिलाफ होगा और वादी शेष प्रतिवादियों के खिलाफ तदनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिया गया अगला तर्क यह है कि आदेश 7 नियम 11, सीपीसी के तहत आवेदन देर से दायर किया गया था और इसलिए उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। कारण यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने अधिकार क्षेत्र के लिए समर्पण कर दिया था और इसे मुकदमेबाजी की शुरुआत में या जल्द से जल्द अस्वीकृति के लिए प्रार्थना लागू नहीं करने के आचरण के कारण आदेश 7 नियम 11, सीपीसी के तहत अधिकारों की छूट के रूप में लिया जाना चाहिए। यह विवाद पहली नजर में आकर्षक लगता है, लेकिन इस कारण से खारिज किया जाना चाहिए कि कानून द्वारा प्रदत्त वैधानिक अधिकारों और सुरक्षा का दावा किसी भी समय किया जा सकता है क्योंकि वे क्षेत्राधिकार की जड़ तक जाते हैं। उक्त दो प्रतिवादियों की इच्छा के विरुद्ध ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित कोई भी आदेश या डिक्री कानून के विपरीत होगा और अपील में संदिग्ध होगा जब तक कि स्वीकार किए गए ऋण को स्वेच्छा से या प्रतिवादी नंबर 4 और 5 की स्वतंत्र सहमति से निदेशकों के रूप में आत्मसमर्पण करने वाले अधिकारों का निर्वहन नहीं किया जाता है। अपनी निजी संपत्ति से ईमानदारी से और उच्च नैतिक आधार पर कर्ज चुकाना, लेकिन कंपनी का नहीं। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दावों के जबरदस्ती निर्णय के लिए यहां कोई जगह नहीं है। यह एक सर्वमान्य कानूनी सिद्धांत है कि क़ानून के ख़िलाफ़ कोई रोक नहीं है।

(4) याचिकाकर्ता फर्म की शेष शिकायत, जैसा कि मेरे सामने पेश किया गया है, यह है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 4 और 5 के मुकदमे को खारिज कर दिया है, जबकि वह केवल आदेश 7 नियम 11, सीपीसी के तहत वाद को खारिज कर सकता था। तर्क गलत दिशा में है. क्या प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 के आधार पर वाद खारिज कर दिया गया है या इन दोनों के आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया गया है, यह कानून में बहुत कम मायने रखता है। प्रतिवादी कंपनी समेत अन्य प्रतिवादियों को पार्टियों के रूप में रखा गया है, जहां दावा संतुष्ट होने के लिए खुला है क्योंकि वादी शेष प्रतिवादियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, रिकॉर्ड को सीधे स्थापित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश को संशोधित किया गया है और अब से पढ़ा जाएगा, कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को

कानून द्वारा वर्जित होने के कारण अभियोग को खारिज कर दिया गया है।

(5) उपरोक्त कारणों से, मुझे ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता है, जो अपने निष्कर्ष में बरकरार रखने योग्य है।

(6) अत: याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

---

*पी.एस. बाजवा*

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार
*प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी*